



064511

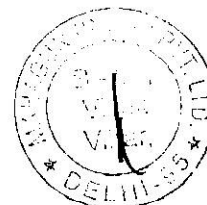
(4)

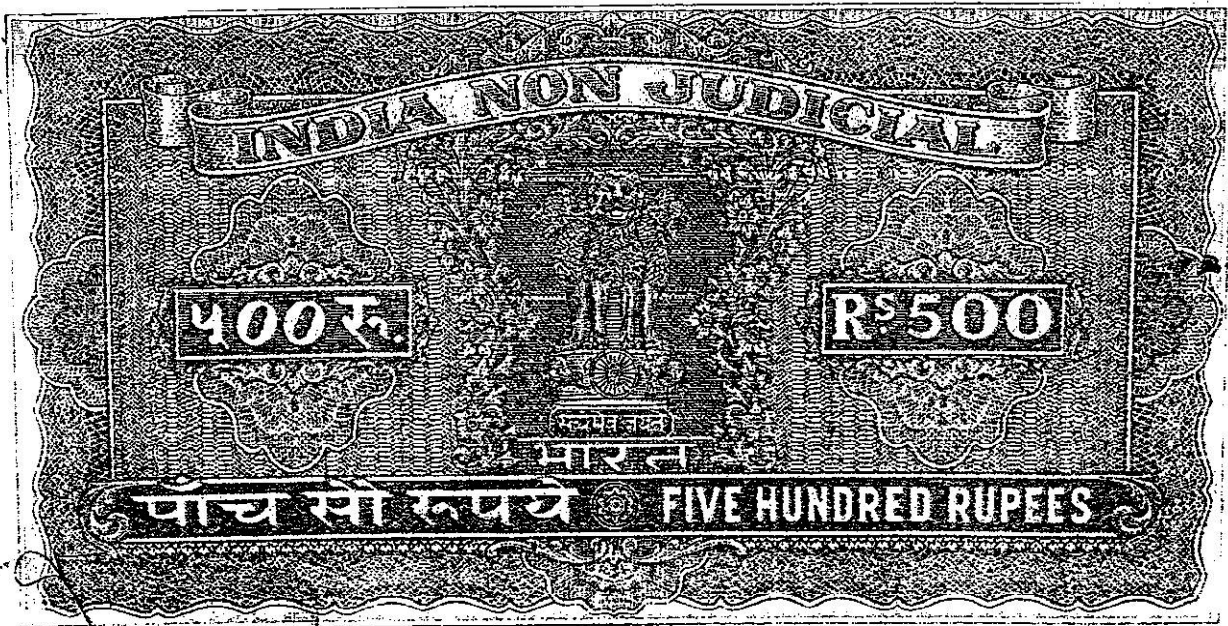
भूमि आज तक हर प्रकार के बन्धकभार, सरकारी देनदारी, आड, बय, रहन, महायदाबय, जमानत, लोन, बैंक लोन, सरकारी मतालबा, वाद विवाद से पाक साफ है किसी दूसरी जगह किसी तौर पर मुन्तकिल नहीं है विक्रय करने में अति लाभ है कीमत उचित मिल रही है अतः अब मुझ विक्रेता ने सालिम भूमि उपरोक्त को यानि अपने संपूर्ण भाग की भूमि रकबई 0.0130 हैक्टेयर को अपनी खुशी व रजामन्दी, शुद्ध बुद्धि स्वस्थ इन्द्रियो से मय समस्त अधिकार मालिकाना काबिजाना दाखिली खारिजी अधिकार काश्त भराई हर किसममय कब्जा गर्ज कि जो कुछ भी अधिकार मुझ विक्रेता को विक्रय भूमि में प्राप्त थे उससे कुछ बचा हुआ नहीं रहा है

21/7/18

For ...

... Ltd.

Director




- 9 NOV 2005

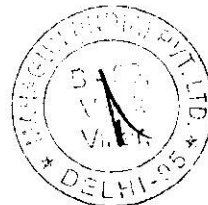
(5)

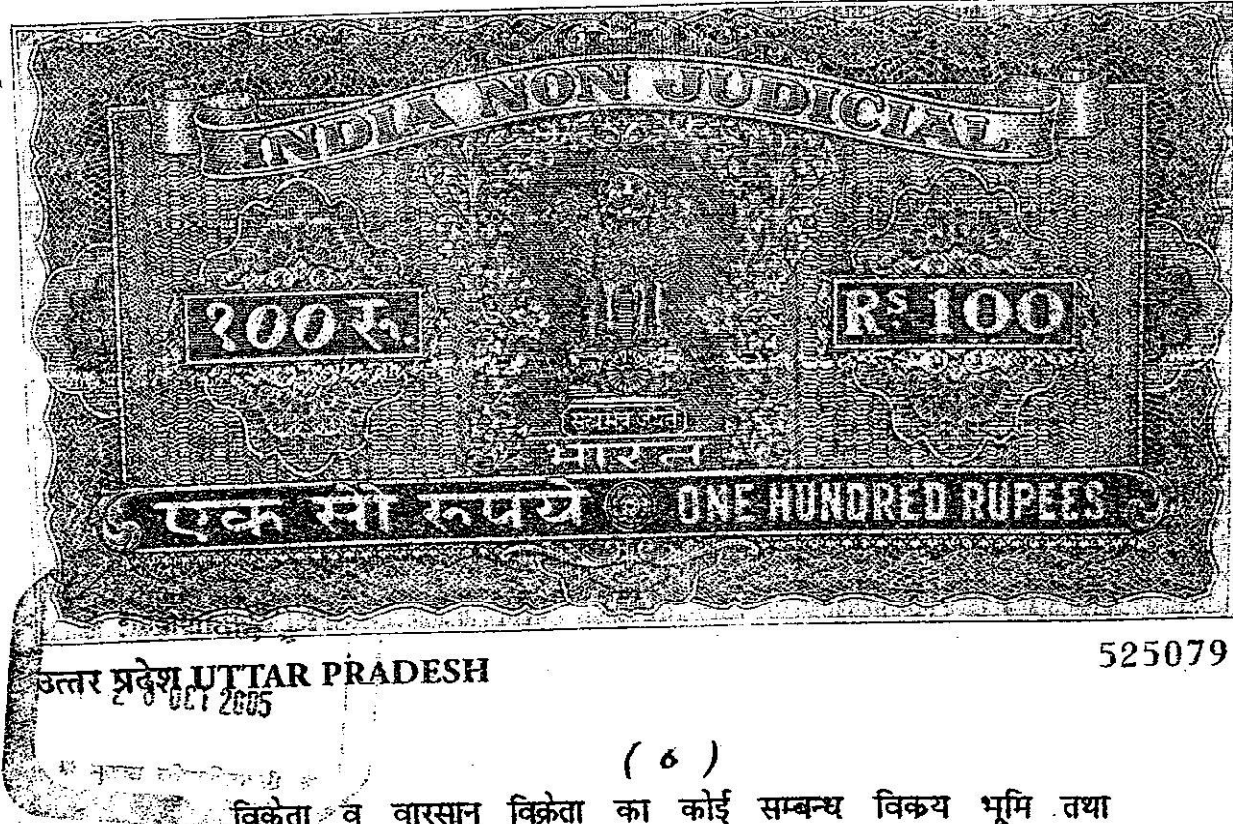
आदि-आदि को आज की तारीख से बदले अंकन 1,71,032/-रुपये (एक लाख इकहत्तर हजार बत्तीस रुपये) आधे जिसके 85,516/-रुपये होते हैं मैं बहक द्वितीयपक्ष क्रेता उपरोक्त के बय कतई किया तथा बेच दिया कुल कीमत विक्रेता ने क्रेता से निम्नानुसार वसूल पा ली है कुछ बाकी नहीं रहा है कब्जा मौके पर क्रेता का करा दिया है क्रेता काश्त करे या विक्रय करे कुछ उजर नहीं होगा । राजपत्रों मे विक्रय भूमि पर क्रेता का नाम दर्ज होगा नाम दर्ज होने मे जहा कही भी विक्रेता के हस्ताक्षरों या रजामन्दी की आवश्यकता पड़ी तो विक्रेता सहर्ष करेगा । गर्ज की आज से विक्रेता ने क्रेता को मालिक मुस्तकिल कर दिया अब

389175

For Mahagun Developers Ltd.

Director





525079

(6)

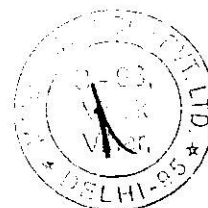
विक्रेता व वारसान विक्रेता का कोई सम्बन्ध विक्रय भूमि तथा उसके जरे समन से नहीं रहा है न आइन्दा होगा। जो जो हकूक विक्रेता को विक्रय भूमि में प्राप्त थे वह इस विक्रय पत्र के द्वारा क्रेता के पक्ष में बय हो गये विक्रय भूमि का बैनामा विक्रेता व क्रेता के वर्णानुसार लिखा गया है अधिवक्ता/ बैनामा लेखक का अपना कोई कथन नहीं है विक्रेता व क्रेता ने पढ़ कर सुनकर व समझकर बैनामे पर हस्ताक्षर किये हैं अब इकरार यह है कि यदि विक्रय भूमि पर आज तक कोई भार निकला और निकला हुआ भार क्रेता को अपने पास से अदा करना पड़ा अथवा विक्रय भूमि विक्रेता के अनाधिकार की वजह से या विक्रेता के वारसान या

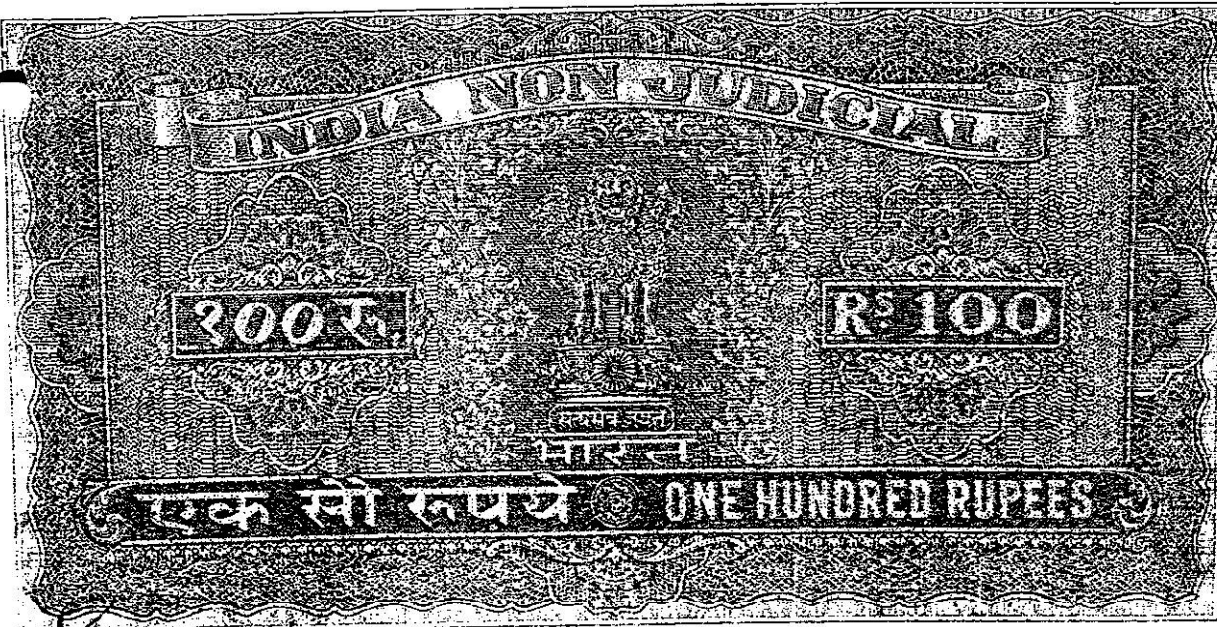
22/10/05

For Mahagun Developers Ltd.



Director
Director





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

525080

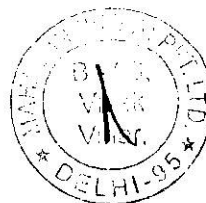
(7)

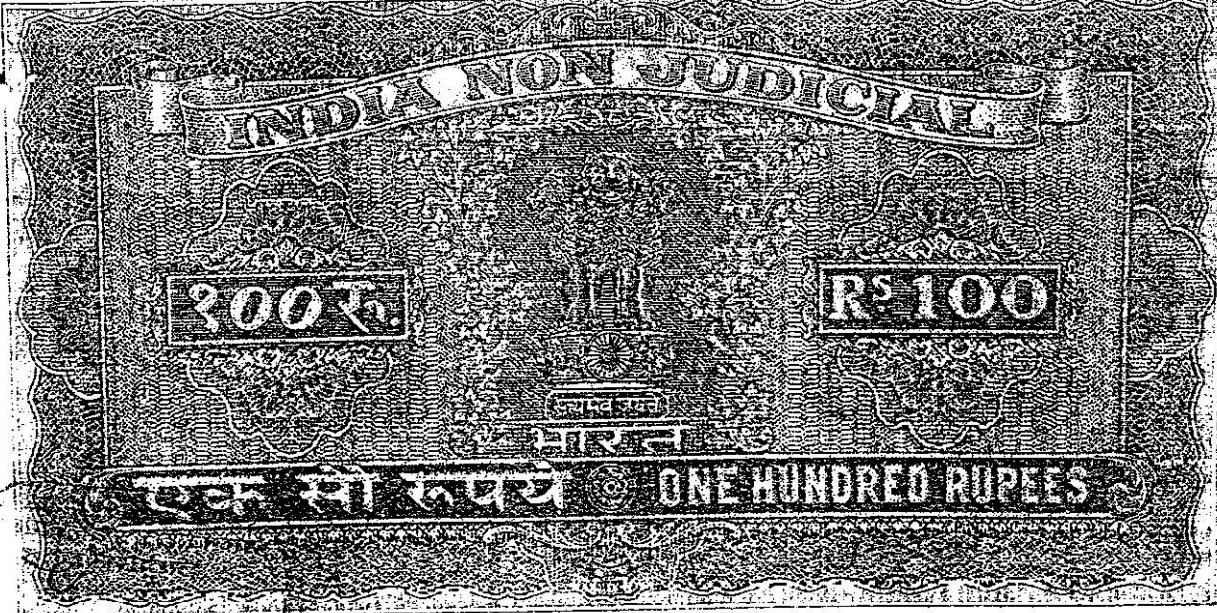
किसी सहीम व शरीक की वजह से या किसी हुज्जत कानूनी या वाकाती की वजह से कब्जा कुल या जुज क्रेता से निकल जाये तो क्रेता को अधिकार होगा कि वह अपने पास से अदा किये हुये जरे समन की धनराशि तथा कब्जे से निकल जाने वाली भूमि की कुल कीमत असल मय सूद मय हरजा खरचा सहित विक्रेता व वारसान विक्रेता से अदालत द्वारा वसूल कर ले। अदायगी के लिये विक्रेता व वारसान विक्रेता की जात खास व समस्त चल अचल सम्पत्ति पाबन्द रहेगी। विक्रय पत्र का समस्त व्यय क्रेता ने सहन किया है अतः यह विक्रय पत्र लिख दिया कि प्रमाण रहे और समय पर काम आवे। इति

524/1/88

For Mahagun Developers Ltd.

Director





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

525081

(8)

विवरण वसलयागो:- कुल कीमत विक्रेता ने क्रेता से इस प्रकार वसूल पायी कि अंकन-1,71,032/-रूपये बजरिये चैक नम्बर 611571 दिनांक 10-11-2005 आई0 सी0 आई0 सी0 आई0 बैंक सैक्टर-61 नौएडा का विक्रेता के नाम से जारी है के द्वारा वसूल पाये कुछ बाकी नहीं रहा है। For Mahagun Developers Ltd.

जगदीश सिंह

Director



गवाह- जगदीश सिंह 5/6 श्री दिग्वर 12/11
124 अंगरे जाति

गवाह- जगदीश सिंह 5/6 श्री दिग्वर 12/11
195-A ईस्ट मस्जिद लाउन्ज गाजियाबाद



दिनांक- 10-11-2005 मसौदा जगदीश सिंह बैनामा लेखक अनुज्ञप्ति संख्या 156 चैम्बर नं0 23 तहसील कम्पाउंड गाजियाबाद।

